प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

24 घंटे के भीतर आलाकत्ल समेत अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 29.05.2021

कल दिनांक 28.05.2021 को थाना महोली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बनघड़ा में आकस्मिक विवाद के दौरान मोहन यादव पुत्र राधेश्याम उम्र 30 वर्ष पर गांव के ही कामता प्रसाद उर्फ कल्लू यादव पुत्र रामभजन द्वारा फायर कर दिया गया था। जिससे मोहन उपरोक्त की मृत्यु हो गयी थी। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री राधेश्याम यादव द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर तत्काल मु0अ0सं0 248/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त कल्लू उपरोक्त की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार गठित थाना महोली पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के भीतर घटना में संलिप्त अभियुक्त कल्लू यादव उम्र 30 वर्ष पुत्र रामभजन निवासी ग्राम बनघड़ा थाना महोली सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल अवैध तमंचा तथा एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त कामता प्रसाद उपरोक्त के कब्जे से बरामद अवैध तमन्चे के सम्बन्ध में थाना महोली पर मु0अ0सं0 250/21 धारा 25 (1-बी) आर्म्स एक्ट भी पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्यवाही पश्चात गिरफ्तार अभियुक्त का चालान अन्तर्गत धारा 302 भा.द.वि माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- कामता प्रसाद उर्फ कल्लू यादव उम्र 30 वर्ष पुत्र रामभजन निवासी ग्राम बनघड़ा थाना महोली सीतापुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 248/2021 धारा 302 भादवि थाना महोली सीतापुर।
- मु0अ0सं0 250/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना महोली सीतापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना महोली-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय पाण्डेय
2. उ0नि0 श्री पवन द्विवेदी
3. उ0नि0 श्री उदयवीर यादव
4. हे0 का0 श्रीनाथ, का0 प्रणव तौमर, का0 नरेन्द्र कुमार

थाना कोतवाली-महोली
जनपद- सीतापुर
कार्यालय
कार्यालय